POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 15.09.2023

1.थाना सेक्टर 20 व थाना फेस 1 पुलिस के सयुंक्त प्रयास से अन्तर्राज्यीय वाहन चोरी करने वाले गद्दू गैंग का भन्डाफोड करते हुये गद्दू गैंग सरगना सहित कुल 08 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 10 लग्जरी कारें एवं कार चोरी करने के भारी मात्रा में विभिन्न उपकरण एवं 9 ई0सी0एम0 तथा 01 पिस्टल मय 5 कारतूस 32 बोर व 03 तमंचे मय 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर(अवैध) बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 15.09.2023 को थाना सेक्टर 20 व थाना फेस 1 पुलिस के सयुंक्त प्रयास से अन्तर्राजीय कार चोर गिरोह के 08 शातिर चोर (1) मौ0 इमरान उर्फ टट्टी पुत्र महरबान (2) मोनू उर्फ जमशेद पुत्र इकबाल (3) मौ0 फरनाम पुत्र महरबान (4) राशिद उर्फ काला पुत्र शौकीन (5) मौ0 शाहिवजादा पुत्र मौ0 इकबाल (6) साकिब उर्फ गद्दू पुत्र समशुद्दीन (7) रोहित मित्तल पुत्र धर्मपाल मित्तल (8) रंजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह को सपबैल तिराहा सेक्टर 18 से **गिरफ्तार** किया गया है।

अपराध करने का तरीका एवं महत्वपूर्ण तथ्य-- यह अन्तर्राज्जीय कार चोरों का गिरोह है जिसका मास्टर माइंड साकिब उर्फ गद्दू है। यह गिरोह दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र गाजियाबाद व नोएडा मे सेक्टरों/कालोनियों में खडी लग्जरी कार जैसे फॉर्च्यूनर, स्कार्पियों, इनोवा, क्रेटा, बलैनो को चोरी करने का अपराध पिछले कई वर्षों से एक साथ मिलकर कर रहे है ।

यह गिरोह मुख्यतः तीन चरणों में एनसीआर क्षेत्र से विभिन्न-विभिन्न कम्पनीयों की टॉप मॉडल कारों को चोरी करने का कार्य करते है इसी गिरोह के सदस्य मो0 इमरान उर्फ टट्टी, मो0 फरमान, राशिद उर्फ काला, शाहिबजादा, मोनू उर्फ जमशेद, मास्टर माइंड शाकिब उर्फ गद्दू के लिए कार्य करते है, जिनको शाकिब उर्फ गद्दू द्वारा कार चोरी करने के डिवायस/पैड, चाबियाँ एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। जिनकी सहायता से यह लोग कारों को चोरी करने का कार्य करते हैं।

इस गिरोह के मुख्य सरगना शाकिब उर्फ गद्दू द्वारा उसके गैंग में काम करने वाले सदस्य मो0 इमरान उर्फ टट्टी, मो0 फरमान, राशिद उर्फ काला, शाहिबजादा, मोनू उर्फ जमशेद को मार्केट में आई ऑन डिमान्ड ऐसी कार जो टोटल लॉस एवं कैश लॉस हो जाती हैं, पर आए आर्डर के अनुसार ही कारों को चोरी करने के लिए कहा जाता है। जिसके उपरान्त गद्दू गैंग के सदस्य आपस में एकत्रित होकर कारों को चोरी करने की घटना को अंजाम देते है।

गद्दू गैंग के सदस्य मो0 इमरान उर्फ टट्टी, मो0 फरमान, राशिद उर्फ काला, शाहिबजादा, मोनू उर्फ जमशेद, शाकिब उर्फ गद्दू द्वारा उपलब्ध करायी गई चोरी की कार से दिल्ली/एनसीआर/नोएडा में रैकी कर असुरक्षित स्थान पर खडी उन कारों को चिन्हित करते हैं जो डिमान्ड में होती हैं। जिसके उपरान्त जब सारी परिस्थियाँ सामान्य होती हैं तो मो0 फरमान एवं राशिद काला जो कि कारों की चाबी की प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट है के द्वारा असुरक्षित खडी गाडी का ड्राईवर साईड का शिशा ग्लास ब्रेकर की सहायता से तोड दिया जाता है। यदि कार "PUSH BUTTON START" होती है तो मो0 फरमान एवं राशिद उर्फ काला के द्वारा "KEY PROGRAMMING DEVICE" को एक कनैक्टिंग कैबल के माध्यम से कार में कनैक्ट कर प्रोग्रामिंग सहायता से एक "REMOTE KEY" तैयार कर कार को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर यदि कार KEY स्टार्ट होती है तो इनके द्वारा कार के स्टेरियगं के नीचे होल कर KEY LOCK SET जो कि पूर्व से कार में लगा होता को निकाल लेते है तथा इनके पास मौजूद KEY LOCK SET WITH KEY को बदल कर कार को स्टार्ट कर लेते है इस कार चोरी की प्रक्रिया करने में 3-4 मिनट लगते है। इसी दौरान गद्दू गैंग के अन्य सदस्य शाहिबजादा व मोनू उर्फ जमशेद बाहर उतरकर आस-पास की निगरानी करते है ताकी कोई खतरा आने पर वह कार चोरी के कार्य में लगे सदस्यों को बता सकें और इसी समय बजा एक सदस्य मो0 इमरान कार को स्टार्ट रखकर बागने के लिए तैयार रहता है जैसे ही कार स्टार्ट हो जाती है तो मो0 फरमान द्वारा उस कार को टीम के ही एक सदस्य को देकर उस बताए गए स्थान पर मिलने के लिए कहता है। जिसके बाद वह सदस्य कार को लेकर वहां से चला जाता है और बचे हुए सदस्य अन्य कारों को चोरी करने के लिए पुनः निकल जाते है इसी तरह यह एक दिन में कम से कम दो से तीन गाडियों को चुरा कर बताए गए स्थान पर आपस मे मिलते हैं। जिसके बाद गद्दू गैंग के सदस्य उन गाडियों को एक या दो दिन के लिए कहीं खडी कर देते हैं। जिससे यदि उसमें जी0पी0एस0 आदि चीजें लगी हों, तो वह पुलिस की गिरफ्त में न आ सके और निगरानी के लिए 2000/- रू0 में एक लडके को रख लेते है। जो उन गाडियों पर नजर रखता है और कोई गडबडी होने पर इन्हें सूचना देता है। जब सारी परिस्थितियाँ सामान्य हो जाती है तो मो0 फरमान उक्त स्थान

पर आकर कार में शिशा डालकर आस-पास ही मौजूद गद्दू को उन चोरी की गाडियों गद्दू को बेच देते हैं। इन चोरी की गाडियों को लेने के लिए या तो गद्दू आता है या फिर वह अपने किसी ड्राइवर को भेजकर उन गाडी की नंबर प्लेट को बदलवाकर ले जाता है
इस गिरोह के सरगना शाकिब उर्फ गद्दू द्वारा खरीदी गई चोरी की कारें फार्च्यूरन को 8-10 लाख रूपये में, स्कार्पियों को 5-6 लाख में, क्रेटा को 3-4 लाख में व ब्रेजा व स्विफ्ट को 1-2 लाख रूपये में ऑन डिमान्ड के आधार पर उनके फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने अन्य साथी रोहित मित्तल, रंजीत, बप्पा को बेचकर पंजाब, जयपुर, हैदराबाद जैसे स्थानों पर भेज देता है।

सैकेन्ड हैन्ड(पुरानी) कारें खरीदते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ
सैकेन्ड हैन्ड गाडिया हमेशा ऑथॉराइस्ड डीलर से ही हमेशा क्रय करनी चाहिए।
गाडी खरीदने से पहले कम्पनी के ऑथॉराइस्ड डीलर से सर्वे कराकर चेक कराना चाहिए।
गाडी का टॉटल लॉस का रिकार्ड बीमा कम्पनी की मदद से प्रमाणित करा कर ही खीरदें।
गाडी के पीछले इतिहास के बारे में जानकारी, ऑथॉराइस्ड डीलर आरटीओ बीमा कम्पनी के माध्यम से चेक कराएं।
गाडी को खरीदते समय गाडियों की चाबी को चेक करने पर यदि रिमाट ड्डम्ल् में ड्डम्ल् उपलब्ध न होने पर उसे कभी न खरीदे और यदि ड्डम्ल् है तो उसकी जांच अवश्य कर ले की वह कहीं से घिसी तो नहीं है। अगर यदि ऐसा होता है तो इस तरीके की गाडियों को न खरीदे।
जिन गाडियों में जी0पी0एस0 कम्पनी से लगा होता है वह जरूर चौक करें की वह काम कर रहा है या नहीं यदि जीपीएस कार्य नहीं कर रहा है तो इसकी जांच अवश्य कराने के पश्चात ही गाडी को खरीदें।
किसी भी सैकेन्ड हैन्ड गाडी को खरीदते समय यह पुष्टि कर लें की उस गाडी की दो चाबियाँ है या नहीं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

(1) मौ0 इमरान उर्फ टट्टी पुत्र महरबान निवासी-60 फुटा रोड़ समर गार्डन शिव मान्दिर वाली गली पुदीना वाला खेत थाना-लिसाड़ी गेट जिला मेरठ उम्र-28 वर्ष
(2) मोनू उर्फ जमशेद पुत्र इकबाल निवासी ग्राम फत्तलेपुर थाना लिसाड़ी गेट जिला मेरठ उम्र-24 वर्ष
(3) मौ0 फरनाम पुत्र महरबान निवासी-60 फुटा रोड़ समर गार्डन शिव मान्दिर वाली गली पुदीना वाला खेत थाना-लिसाड़ी गेट जिला मेरठ उम्र-21 वर्ष
(4) राशिद उर्फ काला पुत्र शौकीन निवासी जाट कॉलेज के पीछे गली न0-01 मवाना थाना-मवाना जिला मेरठ करीब 32 वर्ष
(5) मौ0 शाहिवजादा पुत्र मौ0 इकबाल निवासी 60 फुटा रोड़ समर गार्डन एक मीनार मस्जिद थाना लिसाड़ी गेट जिला मेरठ उम्र-25 वर्ष
(6) साकिब उर्फ गद्दू पुत्र समशुद्दीन निवासी मकान न0-84 सदर गंज बाजार थाना-सदर मेरठ उम्र-24 वर्ष
(7) रोहित मित्तल पुत्र धर्मपाल मित्तल निवासी म0न0-21 हीरा बाग आई0टी0बी0पी के पास थाना सदर पटियाला(पंजाब) उम्र- 35 वर्ष
(8) रंजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी- न्यू सवाजपुरा थाना-पसियाना पटियाला(पंजाब) उम्र- 34 वर्ष

पंजीकृत अभियोग--

(1) मु0अ0सं0 401/2023 धारा 411/413/414/420/467/468/471/482/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर 20, नोएडा
(2) मु0अ0सं0 340/2023 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर 20, नोएडा
(3) मु0अ0सं0 342/2023 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर 20, नोएडा
(4) मु0अ0सं0 370/2023 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर 20, नोएडा
(5) मु0अ0सं0 337/2023 धारा 379 भादवि थाना फेस-01, नोएडा
(6) मु0अ0सं0 392/2023 धारा 379 थाना फेस 01, नोएडा

बरामदगी का विवरण--

चोरी की गई कारों का विवरण

(1) 02 टोयटो फार्च्यूनर
(2) 02 महिन्द्रा स्कार्पियो
(3) 02 ह्युन्डई क्रेटा
(4) 01 मारूती ब्रेजा
(5) 01 मारूती सूजुकी स्विफ्ट डिजायर
(6) 01 मारूती सूजुकी स्विफ्ट
(7) 01 मारूती ईको
    a. कार चोरी करने में प्रयोग किए गए उपकरण का विवरण
(8) 01 अदद पिस्टल 32 बोर
(9) 05 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

(10)03 अदद तमंचे 315 बोर
(11)03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
(12)09 ई0सी0एम0
(13)29 चाबी(चोरी की गई कारो से प्राप्त एवं मास्टर की आदि)
(14)04 व्हील(विभिन्न कारो के)
(15)03 वायर कटर
(16)02 प्लास
(17)01 एल0की0 लॉक
(18)04 टी
(19)01 हथौडी
(20)06 रिन्च
(21)04 पेंचकस
(22)01 ग्लास ब्रेकर
(23)05 लॉक सैट
(24)02 कार/लॉक प्रोग्रामिंग पैड
(25)01 कनैक्टिंग केबल

2.थाना सेक्टर 113 नोएडा पुलिस द्वारा अवैध गांजा बेचने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 03 किलो 300 ग्राम गांजा (कीमत करीब 30 हजार रूपये)नाजायज व घटना मे प्रयुक्त 01 मो0सा0 व एक कार टाटा नेकसोन बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 15.09.2023 को थाना सेक्टर 113 नोएडा पुलिस द्वारा बीट पुलिसिंग के माध्यम से मिली गोपनीय सूचना के आधार पर अभियुक्त 1. जिवितेश मलिक पुत्र सुशील मलिक 2. ध्वनित पुत्र दिवाकर गुप्ता 3. सौरव शर्मा पुत्र राकेश शर्मा को मण्डी तिराहे के पास सैक्टर 76 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। जिनके कब्जे से 03 किलो 300 ग्राम गांजा नाजायज व घटना मे प्रयुक्त एक टीवीएस मो0सा0 रजि0 नं0 यूपी 16 डीए 8375 व एक कार टाटा नेकसोन रजि0नं0 डीएल 7 सीक्यू 8584 बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. जिवितेश मलिक पुत्र सुशील मलिक निवासी सी 42 सैक्टर 122 थाना सैक्टर 113 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष।
2. ध्वनित पुत्र दिवाकर गुप्ता निवासी ए 1101 अंतरिक्ष गोल्फ व्यु 01 सैकटर 78 थाना सैक्टर 113 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 29 वर्ष।
3. सौरव शर्मा पुत्र राकेश शर्मा निवासी म0नं0 20 मैन रोड सुन्दर हलवाई के पास ग्राम छिजारी थाना सैक्टर 63 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 29 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 382/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर 113 गौतमबुद्धनगर |

बरामदगी का विवरण--

1. अभियुक्त जिवितेश से 01 किलो 100 ग्राम, अभि0 ध्वनित से 01 किलो 100 ग्राम, अभि0 सौरव से01 किलो 100 ग्राम कुल 03 किलो 300 ग्राम गांजा नाजायज व घटना मे प्रयुक्त एक टीवीएस मो0सा0 रजि0 नं0 यूपी 16 डीए 8375 व एक कार टाटा नेकसोन रजि0नं0 डीएल 7 सीक्यू 8584 बरामद।

3.थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल लूट/चोरी करने वाले तीन अभियुक्तों को लूट/चोरी के 7 मोबाइल फोन, बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल व अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 15.09.23 को थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से अभियुक्त 1.अक्षय हल्दर पुत्र अशोक हल्दर 2.रोशन पुत्र जीरेन 3.नरेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र इन्दर सिंह को गंदा नाला सेक्टर-35, एआरटीओ आफिस

की पीछे से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट/चोरी के 7 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट, 2 अवैध चाकू बरामद किये गये है। दिनांक 11.09.2023 को वादिया द्वारा थाना सेक्टर-24 पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध वादिया का मोबाइल रेडमी-10 प्राईम को सेक्टर-34 नोएडा से छीनकर भाग जाने के सम्बंध मु0अ0सं0 398/2023 धारा 392 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया गया था। उच्चाधिकारीगणों के दिशा-निर्देशन में घटना का सफल अनावरण करने हेतु 02 पुलिस टीम गठित की गई थी। जिनके द्वारा इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त अक्षय हल्दर, रोशन व नरेन्द्र उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अक्षय हल्दर पुत्र अशोक हल्दर निवासी नोथार कॉलोनी फरक्का, थाना फरक्का, जिला मुर्शीदाबाद, पं0 बंगाल वर्तमान पता निक्की मुखिया का मकान, गली नं0 5, ग्राम मोरना, थाना सेक्टर-24, नोएडा उम्र करीब 20 वर्ष।
2. रोशन पुत्र जीरेन मूल निवासी ग्राम रेड़वा, थाना कमडारा, जिला गुमला, झारखण्ड वर्तमान पता महेश वकील का मकान, ग्राम मोरना, सेक्टर-35, नोएडा उम्र करीब 20 वर्ष।
3. नरेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र इन्दर सिंह निवासी मकान नं0 168, गली नं0 7, ग्राम मोरना, सेक्टर-35, नोएडा उम्र करीब 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 0412/2023 धारा 413/414 भा0दं0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-24, नोएडा।
2. मु0अ0सं0 411/2023 धारा 380/411 भा0दं0वि0 थाना सेक्टर-24, नोएडा।
3. मु0अ0सं0 398/2023 धारा 392/411 भा0दं0वि0 थाना सेक्टर-24, नोएडा।
4. मु0अ0सं0 36/2022 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना सेक्टर-49, नोएडा।
5. मु0अ0सं0 228/2022 धारा 380/411 भा0दं0वि0 थाना सेक्टर-49, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1. 07 मोबाइल लूट/चोरी के
2. दो अवैध चाकू
3. एक मोटरसाइकिल चोरी की बिना नम्बर प्लेट